

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश

संचिका संख्या-14/स्था०(अव०)-07-01/2026-

/पटना-15, दिनांक-

विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो०)सि०-20/2026-2109 दिनांक-20.05.2026 द्वारा दिये गये निदेश एवं मुख्य अभियंता, (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो० परवेज आलम, (आई०डी०-JW0017E) कनीय अभियंता, (विद्युत) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर के स्वयं के विवाह हेतु दिनांक-03.08.2026 से दिनांक-08.08.2026 तक कुल 06 (छः) दिनों का आकस्मिक अवकाश की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश स्वीकृति का लाभ प्रदान करने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी उक्त कनीय अभियंता का सुसंगत वर्ष में देय आकस्मिक अवकाश के अदेयता की सम्यक जाँच कर लेंगे। अदेयता शेष रहने पर ही उक्त आदेश लागू होगा, अन्यथा यह नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। साथ ही नियंत्री पदाधिकारी इसकी प्रविष्टि HRMS Portal में कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रुचि कुमारी)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-14/स्था०(अव०)-07-01/2026-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1699 दिनांक-17.07.2026 के प्रसंग में/कार्यपालक अभियंता, (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर/मो० परवेज आलम, कनीय अभियंता, (विद्युत) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-14/स्था०(अव०)-07-01/2026-4629

/पटना-15, दिनांक-12/08/2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ruchi Kumari
11/08/26

अवर सचिव (प्रबंधन)।